न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2018

अनवान :

1. भंवरखां पुत्र जैता जाति छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. अब्दुल गफार पुत्र जैता छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. जाकर हुसैन पुत्र जैता जांति छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. जैता पुत्री निजामदीन जाति छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुभान पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. सहिदन बानो पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. बिस्मिला पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. शब्रबानो पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादीगण**

वकील श्री जयकिशन गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 1.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के वर्तमान खाता सं0 94/97 के खसरा सं0 403 की 6.829 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी जैता पुत्री निजामदीन के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि पहले वादीगण के नाना निजामदीन वल्द ख्याली की खातेदारी हुआ करती थी। निजामदीन के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी जैता ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन अपने नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा वादभूमि पर अब वादीगण की ही बहिस्सा बराबर के अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि प्रतिवादी जैता पुत्री निजामदीन के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 को तर्क किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 भंवरखां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 94/97 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2047 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपनी माता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में प्रावधान किया गया है कि मुस्लिम काश्तकार की कृषि भूमि में धारा 40 के अनुसार उसकी स्वीय विधि अर्थात् मुस्लिम विधि के अधीन उसके वारिसों को कृषि भूमि प्राप्त होगी चूंकि मुस्लिम विधि में एक मुस्लिम काश्तकार के जीवनकाल में कोई भी व्यक्ति उसके होते हुए उतराधिकार के रूप में दावा नहीं ला सकता है। वादी एवं प्रतिवादीगण समस्त मुस्लिम विधि के अधीन शांसित होते है तथा जोत का खातेदार काश्तकार स्वयं जीवित है। इस स्थिति में वाद वादी चलने योग्य नहीं है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 1.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2018

अनवान :

1. भंवरखां पुत्र जैता जाति छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. अब्दुल गफार पुत्र जैता छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. जाकर हुसैन पुत्र जैता जाति छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. जैता पुत्री निजामदीन जाति छिम्पा मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुभान पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. सहिदन बानो पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. बिस्मिला पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. शब्रबानो पुत्री जैता जाति छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़